(73)

यालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

करण सं0 62 / 2015
पेश दिनांक 12 / 06 / 2015
र्णय दिनांक 04 / 12 / 2019

1. छीतर लाल आयु 45 वर्ष	:	पुत्रान श्री पन्ना जातिगण मेघवंशी
2. सुखवीर आयु 40 वर्ष	:	निवासी मायथा तहसील किशनगंज
3. जानकी लाल	:	पुत्रान रामचन्द्र जाति मेघवंशी
4. बृजमोहन	:	निवासी मायथा तहसील किशनगंज
5. धनराज	:	जिला बारां राजस्थान
6. कान्तीबाई पुत्री	:	पन्ना जाति गण मेघवंशी निवासीगण
7. इन्द्रा बाई पुत्री	:	मायथा तहसील किशनगंज
8. गेरीबाई बेवा	:	

...........वादीगण

–:बनाम:–

1. सुल्तान बाई पुत्री मांग्या जाति मेघवंशी निवासी दण्डछत्रपुरा
2. रामबिलास पुत्र देव्या जाति मेघवंशी निवासी मायथा
3. भैरू पुत्र देव्या जाति मेघवंशी निवासी मायथा तहसील किशनगंज जिला (राजस्थान)
4. राज0सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–04.12.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक श्री राधेश्याम नागर पेश किया प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने कथन किया

1. यह कि वाके ग्राम मायथा पटवार हल्का मायथा तहसील किशनगंज मे आराजी ख0न0 224/173 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा नहरी बारानी अव्वल लगानी 1.90 पैसे स्थित है, जिसको वाद पत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी वादीगण की पूश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण काबिज होकर निरन्तर प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे है तथा वर्तमान मे भी फसल हेतु भूमि को तैयार कर रखा है।
3. यह कि प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मे जबरन कब्जा करने की कोशिश मे है जिसका की उन्हे किसी प्रकार का कोई मान्य अधिकार प्राप्त नही है प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 वादीगण की उक्त विवादित खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी को बेचान करवाने पर आमादा रहते हैं
4. यह कि उक्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 173 है जो इन्तकाल नम्बर 371 से खाता विभाजन हुआ है जिसमे 223/ 173 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है तथा 224/173 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वादीगण के खाते मे दर्ज हैं तथा 173 की शेष भूमि प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 के खाते मे दर्ज हैं प्रतिवादी क्रम 1 का अपनी हिस्सा भूमि पर कब्जा नही है तथा 173 की प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर भी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का कब्जा है, किन्तु बंटवारा के मुताबिक नक्शे मे तरमीम नही हो रही है इसका लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की भूमि एवं वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को तरमीम न होने का फायदा उठाकर बेचान करने पर आमादा है, जिसका उन्हे किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, अपितू वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:24:39 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

(74)

...ह कि दिनांक 15.05.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा 2 ता 3 ने धमकी दी है कि तुम्हारे खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से बेचान करके रहेगे तथा प्रतिवादीगण झगड़ा फसाद करने पर आमादा हूये और धमकी दी जिसके कारण वादीगण को खतरा पैदा हो गया है तथा वादीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.05.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर बमुकाम मायथा मे उत्पन्न हुआ है।

7. यह कि न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि–

(अ) कि वाद पत्र की वर्णित मद नं0 1 की कृषि भूमि मे वादीगण के खाते एवं कब्जा काश्त मे दखल अन्दाजी एवं हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे।

(ब) कि ख0सं0 224 / 173 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मुताबिक बटवारा एवं कब्जे मौके के अनुसार नक्शे मे तरमीम करवाई जावे।

(स) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण की खाते की भूमि पर जबरन कब्जा न करे, न उन्हे बेदखल करे, न दखलअन्दाजी करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा वादगण को शान्ती पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे।

(द) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

रिपोर्ट सरिश्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक श्री घासीलाल वर्मा उपस्थित क्रम 2, 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी क्रम 2, 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी अधिवक्ता का जवाब बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके वादपत्र को ही साक्ष्य समझा जावे। वादी अधिवक्ता की साक्ष्य बन्द की गई।

वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योपान्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–ःक्रियात्मक आदेशः–

वाकेग्राम मायथा पटवार हल्का मायथा तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 224 / 173 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मे वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त मे दखलअन्दाजी एवं हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:24:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner